

यूनिट –IV

व्यक्तिक विभिन्नताएँ

(Individual Difference)

● व्यक्तिगत विभिन्नताओं का व्यवस्थित अध्ययन किया – गाल्टन ने।

● व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर वैज्ञानिक कार्य किया – कैटेल ने

● स्किनर—“व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलु शामिल किया जा सकता है। जिसका मापन किया जा सके।

● व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार :-

1. शारीरिक विभिन्नताएँ :- जैसे— मोटा, पतला, सफेद, काला आदि, शारीरिक आधार पर।
2. मानसिक विभिन्नताएँ :- जैसे — मंदबुद्धि, सृजनशील, पिछडा, प्रतिभाशाली।
3. संवेगात्मक विभिन्नताएँ :- जैसे — आशावादी, प्रसन्नचित, क्रोधी।
4. विचारों में विभिन्नताएँ :- राजनीतिक, गैर—राजनीतिक, उदार।
5. सीखने की गति में विभिन्नता :- जल्दी सीखना, देर से समझना।
6. व्यक्तित्व में विभिन्नताएँ :- गोलाकाय, सुडौलकाय, पतलाकाय।
7. चरित्र विभिन्नताएँ :- नैतिक, अनैतिक।

● व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक :-

1. वशानुक्रम :- पैतृक विशेषताएँ।
2. वातावरण :- पारिवारिक, भौगोलिक, सामाजिक वातावरण।
3. बुद्धि :- मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, औसत।
4. समाज :- धर्म, संस्कृति, रीति—रीवाज।
5. आयु :- आयु के साथ व्यक्ति की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, संवेगात्मक विशेषताएँ बदलती हैं।
6. लिंगभेद :- लडका व लडकी
7. आर्थिक स्थिति :- अमीर व गरीब बच्चों के व्यक्तित्व में भिन्नता
8. ग्रहण शक्ति :- ग्रहण शक्तियाँ सभी में भिन्न—2।
9. परिपक्वता :- समय एवं अनुभवों के साथ—साथ व्यक्ति परिपक्वता को ग्रहण करता है।

व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शिक्षा में

महत्व/उपयोगिता :-

1. छात्रों का वर्गीकरण करने में सहायक।
2. व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करने में सहायक।
3. शिक्षण विधि के चयन में सहायक।

4. पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहायक।

5. गृहकार्य देने में सहायक।

विशिष्ट / विशेष बालक

● वे बालक जिनमें सामान्य बालकों की अपेक्षा असामान्य विशेषताएँ पाई जाती हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं।

1. प्रतिभाशाली बालक / Gifted Child

● जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं

● ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं।

● स्किनर व हैरीमैन —“प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है, जो सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं।”

● टरमन व औडेन:-“प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, विद्यालय उपलब्धि, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, खेलों की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं।”

● प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएँ :-

1. ये जन्मजात होते हैं।
2. इन बालकों की बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है।
3. सामान्य ज्ञान में रुचि रखते हैं।
4. अध्ययन कार्य में अद्वितीय सफलता हासिल करते हैं।
5. अमूर्त विषयों में रुचि रखते हैं।
6. अंतर्दृष्टि की अधिकता
7. तार्किक तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं।
8. उत्तरदायित्व तथा नेतृत्व का गुण पाया जाता है।
9. विशाल शब्द-भण्डार होता है।
10. समायोजन की उत्तम शक्ति होती है।
11. शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होता है।

● प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा व्यवस्था :-

1. सामान्य रूप से कक्षा—1 में 2 कक्षा पास करने की सुविधा।
2. विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम — कठिन और अधिक पाठ्यक्रम (बिंदु 1 के विपरीत)
3. शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान — गाइडेन्स देना।
4. विशेष अध्ययन की सुविधा— विद्यालय में विभिन्न विषयों से सुसज्जित पुस्तकालय होना।

5. विशेष शिक्षण विधि :- प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग विधि

6. आयु में छूट
7. सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों की शिक्षा
8. सामान्य बालकों के साथ शिक्षा – समायोजन की क्षमता हेतु।
9. पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था।

प्रतिभाशाली बालक के सामने समस्याएँ:-

1. परिवार में समायोजन
2. विद्यालय में समायोजन
3. समाज में समायोजन
2. पिछड़ा बालक(धीमी गति से सीखने वाला बालक) / **Backward Child/Slow Child**

- जो बालक जो कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं तथा औसत छात्रों से पीछे रहते हैं।
- सिरिल बर्ट:-“वे बालक जो विद्यालय जीवन के मध्य में अपने से नीचे की कक्षा के उस कार्य को नहीं कर पाता है, जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य होता है।”
- पिछड़े बालकों के प्रकार :-
1. सामान्य पिछड़े बालक :- जो सभी विषय में सामान्य रहता है।
2. विशिष्ट पिछड़े बालक:- जो एक विषय को छोड़कर अन्य विषय में सामान्य अथवा अन्य विषय में विशिष्ट व एक में सामान्य।
- पिछड़े बालक की विशेषताएँ :-
1. सीखने की गति धीमी होती है।
2. निराशावादी व आत्मविश्वास का अभाव।
3. कमजोर शैक्षिक उपलब्धि
4. सामान्य पाठ्यक्रम तथा सामान्य शिक्षण विधियों से सीखने में असमर्थ।
5. असमायोजित व्यवहार।
6. निम्न बुद्धि लब्धि – 80-89 या 80-90
- बालक के पिछड़ेपन के कारण :-
1. शारीरिक रोग/दोष – कम सूनना, हकलाना, तुतलाना, शारीरिक कमजोरी इत्यादि।
2. कम शारीरिक विकास – वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव से कम विकसित होना।
3. निर्धनता।
4. परिवार के झगड़ें।
5. माता-पिता की अशिक्षा/बूरी आदत।
6. परिवार का बड़ा आकार
7. माता-पिता का दृष्टिकोण – अधिक कठोरता या अधिक लाड-प्यार।
8. विद्यालय का दोषपूर्ण संगठन व वातावरण – पाठ्यक्रम कठोर, अनुपयुक्त शिक्षण विधि, निर्देशन का अभाव, पाठ्यक्रम-सहगामी क्रियाओं का अभाव।
9. विद्यालय से अनुपस्थिति।

- पिछड़े बालकों की शिक्षा :-
1. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना – छात्रों की संख्या सीमित, पाठ्यक्रम इत्यादि।
2. विशिष्ट कक्षाओं की स्थापना।
3. अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति।
4. छोटे समूहों में शिक्षा- 10-15 बच्चे समूह बनाकर एक दूसरे को पढाते हैं।
5. सरल व रूचिकर पाठ्यक्रम
6. हस्तकौशल/हस्तशिल्प को शिक्षा – इनमें तर्क एवं चिंतन का अभाव होता है इसलिए इन्हें कताई, बुनाई, जिल्द साजी इत्यादि।
7. विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग।
- 3. मंद बुद्धि बालक / **Mentally Retarded Child** :-

- क्रो एण्ड क्रो के अनुसार :- “वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं।”
- 1913 तक मंदबुद्धि एवं पिछड़े बालकों में कोई भेद नहीं किया जाता था, लेकिन 1913 में इंग्लैण्ड में Mental deficiency Act बनाकर इस अंतर को पैदा किया गया।
- **AAMD(American Association On Mental Deficiency)** मंदबुद्धि बालकों के लिए कार्यरत है।
- मंदबुद्धि बालकों के प्रकार:- चार प्रकार –
1. साधारण मानसिक मंदता – IQ 52-67 के बीच होती है। माता-पिता की देखरेख व विशिष्ट शिक्षा कार्यक्रम से इन्हें रोजमर्रा के कामों में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।
2. अल्पबल मानसिक मंदता – IQ 36 से 51 तक
3. गंभीर मानसिक मंदता – IQ 20 से 35 तक
4. गहन मानसिक मंदता – IQ 20 से नीचे। इनकी पहचान शैशवावस्था में आसानी से हो जाती है तथा प्रायः ये अल्प आयु होते हैं।
5. कुछ विशिष्ट प्रकार :- एल एस पेनराज ने 30 प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं का वर्णन किया है उसमें चार प्रमुख हैं –
1. मंगोलिज्म – यह मानसिक दुर्बलता सर्वाधिक पाई जाती है। मंगोलिज्म नाम इसलिए दिया है कि इस बालकों की शारीरिक बनावट मंगोल जाति(इन लोगों की आखें छोटी-छोटी, नाक चपटी तथा कद छोटा होता है।) के लोगोंसे मिलती जुलती

है। अधिक आयु वाले माता पिता से मंगोलिज्म बालक पैदा होने की संभावना अधिक होती है। इनका IQ 25 से कम यानी जड़-बुद्धि होते हैं।

2. क्रेटिनिज्म –बौने बालक इस श्रेणी में आते हैं। लम्बाई अधिक से अधिक तीन फुट तक होती है। IQ 25 से 50 तक यानी मुढ़ होते हैं। थायरॉइड ग्रन्थि से जो थाइरोक्सीन हार्मोन निकलता है कि कमी के कारण इस मानसिक दुर्बलता के लक्षण उत्पन्न होते हैं।

3. गाइक्रोसिफैली –सिर का आकार काफी छोटा होता है। इन बालकों का मानसिक विकास गर्भकालीन अवस्था के लगभग पांचवें माह में ही अवरूद्ध होने लगता है।

4. हाइड्रोसिफैली –सिर का आकार काफी बड़ा होता है।

● मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएँ :-

1. इन बालकों की बुद्धिलब्धि सामान्यतया 50-70/75 के मध्य होती है।(टरमन तालिका के अनुसार मंद/पिछड़े बालक की बुद्धिलब्धि 80-89)

2. सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रयुक्त करने में असमर्थ।

3. आत्मविश्वास की न्यूनता।

4. दूसरों की चिंता नहीं केवल स्वयं की चिंता।

5. किसी बात का निर्णय करने में परिस्थितियों की अवहेलना। जैसे- धन की चोरी बुरी बात पर भोजन और अन्य वस्तुओं की चोरी बिल्कुल ठीक बात।

6. विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार- जैसे- प्रेम, भय, मौन, चिंता।

● मंदबुद्धि बालक की शिक्षा :-

1. कार्यक्रम :- स्किनर के अनुसार -

1. अपनी देखभाल का प्रशिक्षण –भोजन करना, कपड़े पहनना, सफाई की आदतें इत्यादि।

2. सामाजिक प्रशिक्षण – शिष्टाचार, सामूहिक कार्य, सहयोगी खेल इत्यादि।

3. आर्थिक प्रशिक्षण – हस्तशिल्प, घरेलु कार्य इत्यादि।

2. पाठ्यक्रम :-

1. सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा और आचरण संबंधी शिक्षा।

2. सुनने, निरीक्षण करने, बोलने व लिखने की शिक्षा।

3. शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की शिक्षा।

4. पौष्टिक भोजन, सफाई और आराम की आदतों के साथ-साथ वास्तविक आत्म-मूल्यांकन की शिक्षा।।

5. धन, समय और वस्तुओं का उचित प्रबंध करने की शिक्षा।

6. कार्य, उत्तरदायित्व एवं साथियों और निरीक्षकों से मिलकर रहने की शिक्षा।

3. विशिष्ट कक्षाएँ :- प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षा।

4. व्यक्तिगत शिक्षण व छात्र संख्या :-मंद बुद्धि बालकों की व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता है। अतः कक्षा में छात्रों की संख्या 12 से 15 तक होनी चाहिए।

5. शिक्षा के उद्देश्य :-

1. जन्मजात व्यक्तित्व का विकास करना।

2. शारीरिक स्वास्थ्य की उन्नति करना।

3. स्वस्थ आदतों का निर्माण करना।

4. दैनिक जीवन में व्यक्तिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

4. समस्यात्मक बालक / Problem Child :-

● वेलेन्टाईन – वे बालक जिनका व्यवहार/व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है, वे समस्यात्मक बालक होते हैं।

● समस्यात्मक बालकों के प्रकार –

1. चोरी करने वाला – कारण –अज्ञानता, उच्च स्थिति की इच्छा, माता-पिता की अवहेलना, चोरी की लत, साहस दिखाने की भावना।

2. झूठ बोलने वाला –कारण – मनोविनोद/मजाक, द्विविधा-स्पष्ट रूप से न समझने प अनायास ही झूठ बोलना, मिथ्याभिमान, प्रतिशोध, स्वार्थ, वफादारी, भय।

3. क्रोध करने वाला –कारण– उद्देश्य प्राप्ति में बाधा, ईर्ष्या, निराशा होने पर, रोग्यस्त होनेपर, निरंतर दोष निकालने पर।

4. विद्यालय से भाग जाने वाला।

5. गृहकार्य न करने वाला।

6.एंकात में रहने वाला।

7. मित्र न बनाने वाला।

समस्यात्मक बालकों के लिए उपयुक्त विधि :-

1. निदानात्मक/उपचारात्मक विधि :- कारणों का पता लगाकर उसे दूर करना।(उपयुक्त विधि)

2. व्यक्ति इतिहास विधि (उपयुक्त विधि)

प्रश्न:—एक बालक कक्षा में गाली गलौच/अनुशासनहीनता/भाग जाता है।
उत्तर :—निदानात्मक व उपचारात्मक विधि।

5. बाल अपराधी / **Delinquent** :-

- बाल अपराधी की आयु -18 वर्ष से कम (द्वितीय श्रेणी अध्यापक)
- बाल अपराध का जनक - *सीजर लोम्ब्रैसी*।
- गुड-“कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज-विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी/विरोधी कहलाता है।”
- बाल अपराधी के कार्य :-
 1. चोरी करना।
 2. नशा करना।
 3. झूठ बोलना।
 4. जुआ खेलना।
 5. विद्यालय/सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचना।
 6. हत्या करना।
 7. यौन अपराध करना।
 8. बिना टिकट यात्रा करना।
 9. विद्यालय से भाग जाना।
 अर्थात् जो समाज विरोधी आचरण है, वह बाल अपराध है।
- बाल अपराध की विशेषताएँ :-
 1. अध्ययन में मन नहीं लगता।
 2. शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होते हैं।
 3. बर्हिमुखी व्यक्तित्व के होते हैं।
 4. जिद्दी तथा साहसी स्वभाव के होते हैं।
 5. समाज विरोधी कार्य की प्रवृत्ति।
 6. वर्तमान के आनन्द में विश्वास, भविष्य की चिंता नहीं।
 7. समस्याओं को उचित विधि से हल नहीं करते।
 8. खाओ-पिओ, मौज करें।(चार्वक दर्शन)में विश्वास।
 9. इनकी बुद्धि लब्धि -50-70 होती है।
- बाल अपराध के कारण :-
 - 1.अनुवांशिक कारण -(X+XYY)
 - 2.शारीरिक रचना- मेसोमोर्फो/आयताकार शारीरिक संरचना वाले।
 3. सामाजिक कारण - संघर्ष की भावना, बुरा पड़ोसी, ऊंच-नीच।

4. मनोवैज्ञानिक कारण - अवरुद्ध इच्छा/सपना पूरा न होना, संवेगात्मक असंतुलन, निम्न बुद्धि लब्धि।

5. पारिवारिक कारण - पारिवारिक निर्धनता, माता की शिक्षा, बच्चे की अवहेलना।

6. विद्यालयी कारण :-दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, कठोर अनुशासन।

7. शारीरिक दोष :- दिव्यांग।

- बाल अपराधी बालकों का उपचार करने वाली मनोवैज्ञानिक विधि :-

1.मनोविश्लेषण विधि -सिगमण्ड फ्रायड (अचेतन मन का अध्ययन करके बालक की इच्छाओं का पता लगाकर इलाज करना।)

ये दो प्रकार की है -

1.स्वतंत्र साहचर्य

2.शब्द साहचर्य

2.व्यक्ति इतिहास विधि :- टाइडमैन

3.मनोनाटकीय/मनोअभिनय विधि :-जे0एल मेरेनो।

4.अनिर्देशित विधि-कार्ल रोजर्स-अपराधी बच्चे को समस्या देकर कोई निर्देश ना देकर स्वयं इसका इलाज निकालने के लिए कहा जाता है।

- उपचार की वैधानिक/कानूनी विधियां :-

1. कारावास

2. किशोर न्यायालय- दिल्ली, मुंबई, बंगाल, मद्रास इत्यादि।

3. किशोर बंदी गृह - परिवार वालों से मिलने देना, सामान्य व औद्योगिक शिक्षा।

4. प्रवीक्षण/Probation :-कुछ शर्तों के साथ समाज में रहने की आज्ञा।

5. किशोर सुधार गृह- किशोर बंदी गृह के समान।

6.बोर्टल संस्थाएँ :- ये संस्थाएँ बंदीगृह और मान्यता प्राप्त स्कूलों के बीच की संस्थाएँ हैं और इसमें साधारणतया 15-20 वर्ष के बालक रखे जाते हैं।

6.सृजनशील बालक

- यदि किसी प्रतिभावान बालक में मौलिकता, साहस तथा लगन जैसे गुण हैं तो उसे हम सृजनशील बालक कहते हैं।
- प्रत्येक सृजनशील बालक प्रतिभावान होता है, किंतु प्रत्येक प्रतिभावान बालक सृजनशील नहीं हो, यह आवश्यक नहीं।

●केवल ऐसे प्रतिभावान बालक ही सृजनशील कहलाते हैं जिनमें मौलिकता तथा लकीर से हटकर कार्य करने की क्षमता होती है।

●विशेषताएँ :-सृजनशील बालक की बृद्धि-लब्धि 110 से अधिक होती है-

1.जिज्ञासु प्रवृत्ति।

2. मौलिकता

3. दूरदर्शिता

4. नवीनता

5. कल्पनाशीलता

6. उच्च आकांक्षा

7. साहस

8. अवधान/ध्यान

9. अंतर्दृष्टि

10. संवेदनशीलता

11. स्वकेन्द्रित प्रवृत्ति

12. उच्च समायोजन क्षमता

सृजनशील बालकों की शिक्षा :-

1.सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले अध्यापकों की नियुक्ति।

2. सृजनात्मक अभिव्यक्ति के लिए अवसर एवं वातावरण प्रदान करना।

3. कल्पना का सम्मान करना।

4. मौलिकता एवं लचीलेपन को प्रोत्साहन।

5. छात्रों को प्रतिक्रिया देने के लिए प्रोत्साहित करना।

6. पाठ्यक्रम का उचित आयोजन।

7. सृजनात्मक कार्यों से संबंधित सूचनाओं के संकलन को प्रोत्साहन।

7.वंचित एवं अलाभांवित

बालक / Disadvantaged and Deprived child

● वंचित बालकों का अभिप्राय उन बालकों से है जो सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए हैं। इन बालकों में दूर-दराज के अनुसूचित जातिय, जन-जातिय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बालक शामिल हैं। जिन्हें शहरों के बालकों के समान शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

● वंचित बालकों की विशेषताएँ -

1.अल्पभाषात्मक विकास

2. बाहरी दुनिया एवं उसमें होने वाले बदलाव से अनभिज्ञ।

3. निम्न अभिव्यक्ति स्तर

4. निम्न स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि

5. पूर्वाग्रह से ग्रसित

6. पहल शक्ति का अभाव

7. चिंता एवं भय की अधिक मात्रा

8. निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर

वंचित बालकों की शिक्षा -

1. अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन।
2. भाषा संवर्धन कार्यक्रम।
3. अभिभावकों की शिक्षा।
4. पर्याप्त अभ्यास कार्य।
5. कक्षा के सामाजिक-भावात्मक वातावरण में परिवर्तन।
6. त्वति अधिगम कार्यक्रम।

समायोजन Adjstment

● परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को बना लेना या परिस्थितियों को स्वयं के अनुकूल बना लेना।

● परिभाषाएँ :-

● स्किनर - "समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है।"

● बोरिंग, लैंगफील्ड तथा वेल्ड - "समायोजन वह प्रक्रिया है, जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन रखता है।"

● गेट्स एवं अन्य - "समायोजन एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करना है।"


● समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक/कुसमायोजन की ओर ले जाने वाले कारक :-

1. भग्नाश/कुण्ठा/**Frustration**

: -कुण्ठा व्यक्ति विशेष की वह अवस्था होती है जिसमें उसके प्रयत्नों पर विफलता का आधिपत्य रहता है अर्थात् बार-बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति कुण्ठा या भग्नाशा का शिकार हो जाता है।

जेम्स ड्रेवर - "किसी प्राणी के लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग अवरुद्ध हो जाना ही कुण्ठा है।"

गुड - "कुण्ठा से अभिप्राय किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति में आने वाली बाधा से उत्पन्न संवेदात्मक तनाव से है।"



● **भगनाश / कुंठा के प्रकार :-**

1. आंतरिक भगनाश—स्वयं की कमी से।
2. बाह्य भगनाश —बाहरी कारक की वजह से।

● **भगनाशा के कारण :-**

1. भौतिक कारण / वातावरण :- बरसात, बिजली, बाढ़, भूकम्प।
2. सामाजिक कारण :- सामाजिक कारक।
3. विरोधी इच्छा / उद्देश्य :- दो इच्छाएँ एक साथ उत्पन्न होने से एक पूरी न हो पाना।
4. शारीरिक दोष / कारण :- एक विकलांग द्वारा दूसरे को खेलते देखना।
5. आर्थिक कारक :- पैसों के अभाव में इच्छा की पूर्ति न होना।
6. नैतिक आदर्श :- बच्चे के भूख होने पर उसका नैतिक आदर्श —क्या करूँ? क्या ना करूँ?

भगनाश की स्थिति में बालक का व्यवहार :- चार प्रकार का व्यवहार —

1. एकान्तवासी बन जाना।
2. आक्रमणकारी बन जाना —किसी का गुस्सा किसी पर निकालना।
3. रोगग्रस्त होने की बातें करना — बीमारी का बहाना बनाना।
4. आत्मसमर्पण कर देना —स्वयं को मारने की इच्छा बना लेना।

2. **तनाव** :- जब व्यक्ति वातावरण तथा समय की मांग के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाता है, तनाव का शिकार हो जाता है।

3. **दुश्चिन्ता** :- चेतन तथा अचेतन मन के बीच संघर्ष की स्थिति दुश्चिन्ता कहलाती है।

4. **दबाव** :- दो प्रकार — 1. सकारात्मक 2. नकारात्मक

- व्यक्ति प्रतियोगिता तथा आत्मसम्मान के कारण दबाव महसूस करता है।

5. **संघर्ष / द्वंद** :- दो विरोधी इच्छा / विरोधी उद्देश्यों की वजह से द्वंद / संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है।

समायोजन स्थापित करने की अप्रत्यक्ष विधियाँ :-

1. **क्षतिपूर्ति युक्ति / उपाय** :- जिस क्षेत्र में व्यक्ति कमजोर है उसकी क्षतिपूर्ति अन्य क्षेत्र / साधन के माध्यम से कर समायोजन स्थापित करना / यह दो प्रकार का होता है:-

1. **प्रत्यक्ष** :- जिनमें कमजोर हो उसी में मेहनत करना। जैसे — कम ऊँचाई वाली लडकी ऊँची ऐडी की सैण्डल पहनती है।

2. **अप्रत्यक्ष** :- एक में कमजोर होने पर उसकी पूर्ति किसी दूसरे से पूरी करना। जैसे — विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर अपनी शारीरिक विकलांगता की क्षतिपूर्ति करता है।

2. **औचित्य स्थापन / तार्किकरण / युक्तिकरण / संयुक्तिकरण / Retionalization** :- इस युक्ति में व्यक्ति

अपनी असफलता के पीछे तर्क संगत / उचित कारण ढूँढकर उसका औचित्य स्थापित करता है। जैसे — अंगूर खट्टे है।

3. **दमन / Repression** :- इस युक्ति में व्यक्ति किसी दुःख प्रिय विचार / दुःखदायक विचार को अचेतनमन में भेज देता है / भूल जाता है।

4. **समन / Suppression** :- जानबुझकर किसी व्यक्ति / विचार को भूल जाना / बलपूर्वक भूल जाना।

5. **प्रतिगमन / Regression** :- इसे प्रत्यावर्तन भी कहते हैं।

इस युक्ति में व्यक्ति छोटे बालक के समान व्यवहार करता है। जैसे — बुढ़ा व्यक्ति छोटे बच्चे के समान व्यवहार करता है तो व्यस्क का बच्चे की तरह रोना।

6. **प्रेक्षपण / Projection** :- अपनी असफलता का दोष किसी अन्य पर लगाकर समायोजन स्थापित करना। जैसे — नाच न जाने आंगन टेढ़ा।

7. **आत्मीकरण / तादात्मीकरण** :- इस युक्ति में व्यक्ति किसी आदर्श व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करना शुरू कर देता है। जैसे — एक व्यक्ति स्वयं को सलमान खान के समान बनाने की कोशिश करता है।

8. **अंतःक्षेपण / Introjection** :- जब व्यक्ति वातावरण के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेता है, तब यह प्रवृत्ति अंतः क्षेपण कही जाती है। जैसे — किसी के दुःख में दुःखी होकर स्वयं उसके जैसा अनुभव करना।

9. **उदात्तीकरण / शोधन / मार्गतीकरण /**

Sublimation :- इस युक्ति में व्यक्ति समाज विरोधी इच्छा को समाजमान्य रूप में बदल देता है। जैसे — लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल देना।

10. **विनिवर्तित / विलोपन / प्रत्यागमन युक्ति** :- इस युक्ति में व्यक्ति भावी असफलता से डरकर उससे अपने आपको अलग कर लेता है। जैसे — अकाल के डर से शहर की ओर जाना।

11. **नकारात्मक व्यवहार** :- समाज विरोधी कार्य करके अपने महत्व को स्थापित करना। जैसे — फूल तोड़ना मना है फिर भी तोड़ लेता है, प्रतिबंधित स्थानों पर फोटोग्राफी।

12. **आक्रामक व्यवहार** :- दो प्रकार

1. **प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार** — जिसने गलती की उसे पीटना / गुस्सा निकालना।

2. **अप्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार** — जिसने गलती की उसके न मिलने पर दोस्तों को पीटना।

13. **निर्भरता युक्ति** :- जीवन के कष्टों से परेशान होकर साधु / संत का शिष्य बन जाना।

14. **प्रतिक्रिया / विपरीत रचना निर्माण** :- इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से उस व्यवहार व विचार का निर्माण कर लेता है जो कुछ मात्रा में दमन की हुई इच्छाओं के विपरीत होता है। जैसे — मुंह में राम बगल में छूरी, भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना।

15. **सहानुभूति युक्ति** :- दूसरों के दुःखी होने पर सहानुभूति व्यवहार करना।

16. **दिवास्वप्न** :- इस युक्ति में व्यक्ति हवाई किले बनाता है अर्थात् कल्पना जगत में विचरण करता है।

समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधियाँ

1. **बाधाओं को दूर करना।**

2. मार्ग परिवर्तन/अन्य उपाय –हाथ से आम न टूटने पर लकड़ी से तोड़ना।
3. लक्ष्य का प्रतिस्थापन :- बरसात आने पर घर में ही खेलना।
4. विश्लेषण/निर्णय :-व्याख्या करके निर्णय करना।

समायोजन के प्रकार

1. रचनात्मक समायोजन :- गणित के प्रश्न हल करते-करते चित्र बनाने लगना।
2. मानसिक मनोरचना समायोजन :- झूठ तो बोलता हूँ पर पढाई में होशियार भी हूँ।
3. स्थानापन्न समायोजन :- कक्षा में फेल होने पर अध्यापक को दोषी ठहराना।

कूसमायोजित बालकों की विशेषता :-

1. संकोची स्वभाव के होते हैं।
2. भयभीत रहते हैं।
3. मित्र न बनाना।
4. एकांत में रहना।
5. अगूँठा चूसना।
6. बिस्तर पर पेशाब करना।
7. गृहकार्य न करना।
8. विद्यालय से भाग जाना।

कूसमायोजित बालकों के साथ शिक्षक का व्यवहार :-

1. संतुलित बुद्धि एवं विकास पर ध्यान देना चाहिए।
2. अपनी ताकत और कमजोरी का ज्ञान।
3. समाज और संस्कृति की मांगों से समाजस्य स्थापित करना।
4. निर्देशन व परामर्श की व्यवस्था करना।
5. अध्यापक सुप्रशिक्षित, अनुभवी, शक्तिपूर्ण हो तथा उसे शैक्षिक तकनीकी का पूर्ण ज्ञान हों।
6. स्कूल का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए जिससे बालक प्रश्न पूछ सके और पूर्ण रूप से आत्माभिव्यक्ति कर सके।
7. पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का निर्धारण बालकों की रुचि व क्षमता के अनुरूप होना चाहिए।
8. विद्यालय में अनुपस्थित रहने वाले तथा बीच में भाग जाने वाले बालकों के अभिभावकों से मिलना और उसके कारणों को जानकर निवारण करना।
9. विद्यालय में नैतिक, धार्मिक तथा यौन शिक्षा की उचित व्यवस्था करना।
10. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयत्न करना।
11. आकांक्षा का उचित स्तर तय करना।
12. स्वस्थ एवं उचित वातावरण प्रदान करना।

माता-पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए?

1. मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
2. बालक के सामने झगडा/वाद-विवाद ना करें।
3. बालक के भविष्य के प्रति ज्यादा उत्सुक ना हो।
4. अन्य बालकों से तुलना न करें।

- बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक :-

1. वंशानुक्रम
2. वातावरण
 - पारिवारिक वातावरण
 - सामाजिक वातावरण
 - विद्यालयी वातावरण
3. शारीरिक दोष

- शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक :-

1. कम वेतन मिलना।
2. अतिरिक्त कार्यभार।
3. निरंकुश प्रशासन।
4. जातीय विद्यालय।
5. बाहरी कार्यों पर प्रतिबंध।
6. शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव।

- मानसिक रोगियों के प्रकार :- 2 प्रकार के होते हैं-

1. मनोदुर्बलता – आत्मविश्वास कमजोर होना।
2. मनोविक्षेपी – उन्माद/आक्रोश।

नोट :-

- सीजोफेनिया रोग – अपने आपको तुर्रम खा।/शाहजहां/चंगेज खां/सबकुछ समझना।
- मीथोमेनिया रोग – जो हर बात में झूठ बोले।
- असामयिक मनोहास रोग –पेट में पियानों या गिटार बजना।
- फोबिया रोग –किसी वस्तु, स्थान से डरना जैसे-ऊँचाई, पानी इत्यादि।
- भ्रंति रोग – भ्रम की स्थिति।

SUCCESS COACHING INSTITUTE BANGALURU

मानसिक स्वास्थ्य


- मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिपादक :- C.W. वीयर्स
ने, 1908 में।
- मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएँ :-
 1. सहनशीलता।
 2. आत्मसम्मान की भावना।
 3. आत्म विश्वास की भावना।
 4. वास्तविक जगत में निवास।
 5. स्वतंत्र निर्णय शक्ति।
 6. निश्चित जीवन दर्शन।
 7. उत्तम समायोजन शक्ति।

क्रियात्मक अनुसंधान, आंकलन, मापन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, शिक्षा का अधिकार-2009, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियायें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा-2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूह रचनायें एवं विधियां।

क्रियात्मक अनुसंधान / Action Research

- **Action Research** का सूत्रपात करने का श्रेय – *अमेरिका*।
- क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया – *कोलियर* (द्वितीय विश्वयुद्ध में)।
- शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा की समस्याओं में उपयोग देने का श्रेय :- *स्टीफन एम कोरे (1953)*

RESEARCH = RE+SEARCH (बार-बार खोजना)



कोठारी आयोग – “ भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षा-कक्ष में हो रहा है।”

- *स्टीफन एम कोरे* :- “क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों और कार्यों का मार्गनिर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करने हेतु अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करता है।”
- क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र :-
 1. विद्यालय की कार्यप्रणाली में सूधार तथा विकास करना।
 2. स्कूल की रूढ़िवादी एवं यांत्रिक वातावरण को समाप्त करना।
 3. छात्र व शिक्षक के मध्य प्रजातांत्रिक गुणों का विकास करना।
 4. शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सूधार का सूझाव देना।
- क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र :-
 1. पाठान्तर क्रियाओं से संबंधित।
 2. परीक्षा संबंधी समस्याओं से संबंधित।
 3. शिक्षण की समस्याओं से संबंधित।
 4. बाल-व्यवहार की समस्या से संबंधित।
 5. विद्यालय संगठन तथा प्रशासक संबंधी समस्याओं से संबंधित।

- क्रियात्मक अनुसंधान के पद :-
एण्डरसन के अनुसार 7 हैं :-
 1. समस्या का ज्ञान।
 2. कार्यों के लिए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श।
 3. योजनाओं का चयन तथा उपकल्पनाओं का निर्माण।
 4. तथ्यों को संग्रहित करने की विधियों का निर्माण।
 5. योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा प्रमाणों का संकलन।
 6. तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष निकालना।
 7. दूसरों को परिणामों की सूचना।

- जैसे :-
- 1st STEP – विद्यालय से छात्र भागते हैं।
 - 2nd STEP – टॉपिक पर विचार-विमर्श।
 - 3rd STEP – योजना बनाना (परीक्षण, उद्देश्य, समाधान)
 - 4th STEP – डाटा संग्रहण (भागने के कारण-मूवी देखने जाना, मस्ती करना, घूमना)
 - 5th STEP – योजना लागू करना (कार्य प्रस्ताव-कारण दूर करना।)
 - 6th STEP – निष्कर्ष –मूवी, घूमना, मनोरंजन की व्यवस्था करना।
 - 7th STEP – योजना की दूसरों की सूचना

● आंकलन (Assessment)

- आंकलन, विकास की किसी पहलू के बारे में आंकलन है। – बुद्धि का, व्यक्तित्व का, कुण्डा का।
- आंकलन *अनौपचारिक* होता है।

● मापन एवं मूल्यांकन (Measurement and Evaluation)

- मापन / Measurement – मापन किसी भी अवलोकन को परिणात्मक रूप से व्यक्त करता है। (परीक्षार्थी को अंक देना)
जैसे – परीक्षा में छात्र के 50% अंक लाना उसका मापन है।
परिभाषाएँ :-
- *क्लासमेयर एवं गुडविल* – “शैक्षिक मापन विद्यार्थी अधिगम, शिक्षण प्रभावशीलता या किसी अन्य शैक्षिक पक्ष की मात्रा, विस्तार और कोटि के निर्धारण से संबंधित है।”
- *कार्लिंगर* – “मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संख्या प्रदान करना है।”
- मापन के क्षेत्र :-
 1. बुद्धि परीक्षण
 2. उपलब्धि परीक्षण
 3. अभिक्षमता परीक्षण
 4. रुचि परीक्षण
 5. व्यक्तित्व परीक्षण।
- मूल्यांकन / Evaluation :- मूल्य + अंकन – मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य/कीमत निर्धारित करने या आंकने की बात की जाती है।
जैसे – वह बच्चा अच्छा है। यह उसका मूल्यांकन है।

- परिभाषाएँ :-
- कोटारी आयोग :- "मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है।"
- NCRET :- "मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किये गये हैं, कक्षा में दिये गए अधिगम अनुभव कहां तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं।"

मूल्यांकन की विशेषताएँ :-

- | | |
|---------------------------|------------------|
| व्यवहारिक विशेषताएँ | तकनीकी विशेषताएँ |
| 1. काम में लेने में सरलता | 1. वैधता |
| 2. व्याख्या में स्पष्टता | 2. विश्वसनीयता |
| 3. ग्राह्यता | 3. वस्तुनिष्ठता |
| 4. फलांकन में सरलता | 4. विभेदनशीलता |
| 5. फलांकन में सार्थकता | 5. व्यापकता |
| 6. आभासी वैधता | 6. मानकीकृत |

मूल्यांकन की विधियाँ

- | | |
|--|-------------------------------------|
| परिणात्मक विधियाँ | गुणात्मक (भावात्मक पक्ष का) विधियाँ |
| 1. लिखित परीक्षाएँ (ज्ञानात्मक पक्ष) | 1. निरीक्षण |
| 2. मौखिक परीक्षाएँ (ज्ञानात्मक पक्ष) | 2. साक्षात्कार |
| 3. प्रायोगिक परीक्षाएँ (क्रियात्मक पक्ष) | 3. प्रश्नावली |
| | 4. पडताल-सूची (हां/ना वाले प्रश्न) |
| | 5. स्तरमाप (Rating Scale) |
| | 6. संचयी अभिलेख |
| | 7. घटना वृत्तांत |
| | 8. बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएँ |
| | 9. व्यक्ति इतिहास विधि |
| | 10. समाजमिति |

1. परिणात्मक विधियाँ :-

- (अ) ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित :-
- लिखित परीक्षा - प्रथम लिखित परीक्षा, 1902 में, क्रेम्ब्रिज वि०वि०, ब्रिटेन।

वस्तुनिष्ठ परीक्षा निबंधात्मक परीक्षा

1. प्रत्यास्मरण :- सामान्य प्रत्यास्मरण (एक शब्द वाले) रिक्त स्थानों की पूर्ति।

2. प्रत्याभिज्ञान :- एकांतर अनुक्रिया- हां या नहीं टाईप।
 बहुनिर्वचन - REET परीक्षा के प्रश्न।
 समानता रूप - मिलान वाले प्रश्न।
 वर्गीकरण - असंगत का चयन करना।
 सादृश अनुभवस्वरूप - रात:दिन :: माता: पिता

2. मौखिक परीक्षा :- प्रत्यास्मरण, चिंतन, तुरंत अभिव्यक्ति, क्रियाशीलता, पढ़ने की योग्यता, उच्चारण कुशलता इत्यादि।

(ब) क्रियात्मक पक्ष से संबंधित :-

3. प्रायोगिक परीक्षा :- कम्प्यूटर लैब में, रसायन प्रयोगशाला, विज्ञान की लैब।

2. गुणात्मक मूल्यांकन विधियाँ :- भाव पक्ष से संबंधित।

- निरीक्षण- डॉक्टर रोगी का निरीक्षण करता है।
- साक्षात्कार - RAS का साक्षात्कार।
- प्रश्नावली
- मतसूची/जांच सूची - "हां" या "नहीं"
- रेंटिंग स्केल
- संचयी आलेख - आवश्यक डाटा एकत्रित करना।
- घटना वृत्तांत
- बालकों द्वारा निर्मित वस्तुएँ-चित्र, चार्ट, मॉडल।
- व्यक्ति इतिहास की विधि
- समाजमिति

मूल्यांकन प्रक्रिया के पद :-

- उद्देश्य का निर्माण :- विषय-वस्तु संबंधित उद्देश्य का चयन करना।
- उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अध्ययन-अध्यापन
- मूल्यांकन की विधियों का चयन एवं निर्माण।

उपलब्धि परीक्षण

Achievement Test

- छात्रों की विभिन्न विषयों में ज्ञान अथवा अधिगम की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने का परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है।
उदाहरण - वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाएँ उपलब्धि परीक्षण का रूप है।

उपलब्धि परीक्षाओं का प्रकार

मानक / प्रमापित परीक्षण
(Standardized test)

शिक्षक-निर्मित / अप्रमापीकृत / अनौपचारिक परीक्षण।
(Un-standardized test)

आत्मनिष्ठ परीक्षण
(Subjective Test)

वस्तुनिष्ठ परीक्षण
(Objective Test)

मौखिक परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण

- प्रमापित परीक्षण :- इन परीक्षणों की सामग्री व्यवस्था, अंकन या व्याख्या आदि विशिष्ट रूप से स्वीकृत होती है। जैसे - बोर्ड द्वारा पूरे राज्य में होने वाले परीक्षण प्रमापीकृत होते हैं।
- अनौपचारिक/अप्रमापित परीक्षण :- अध्यापक द्वारा छात्रों के परीक्षण के लिए समय-समय पर बनाया जाता है, यह लिखित, मौखिक व प्रायोगिक हो सकती है। इन परीक्षाओं को अप्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं।

- उपलब्धि परीक्षण संरचना के पद/सोपान :-

- अप्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण :- Teacher made this - weekly test, Half- Yearly Exam, Annual Exam etc.

2. प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण :- योजनाबद्ध तरीके से तैयार करना, सांख्यिकी तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसके परिणाम विश्वसनीय तथा वैध होते हैं। इसके निम्न पद हैं :-

1. परीक्षण की योजना बनाना :-
 1. शिक्षण उद्देश्य
 2. पाठ्य वस्तु
 3. प्रश्नों के संबंध में निर्णय (वस्तुनिष्ठ या हां/ना प्रश्न)
2. पदों/प्रश्नों की रचना करना :- प्रश्न बनाना।
3. प्रश्नों का चयन/पद-विश्लेषण करना :- प्रश्नों की विस्तृत जांच करना। इसके दो चरण हैं :-
 1. सामान्य जांच :- प्रश्नों की भाषा, व्याकरण की अशुद्धियाँ, दोहराव इत्यादि।
 2. तकनीकी जांच :-
 1. कठिनाई स्तर - 40 से 60% तक
 2. विभेदन क्षमता - कमजोर व होशियार में

समग्र एवं सतत मूल्यांकन

Comprehensive and continuous

Evaluation

- समग्र - विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियों का समावेश।
- सतत - लगातार
- यह मूल्यांकन की नवीन पद्धति है, जिसे ग्रेडिंग प्रणाली भी कहते हैं।
- पूर्व मूल्यांकन की पद्धतियों से केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता था लेकिन CCE (समग्र एवं सतत मूल्यांकन) द्वारा विद्यार्थी के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ विद्यालय के अंदर की जावे ताकि समक्ष गतिविधियों द्वारा मूल्यांकन करते हैं।
- "राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005" में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार, बदलाव की सिफारिश की गई थी।
- **CCE का महत्व :-**
 1. रटने की प्रवृत्ति को रोकता है।
 2. पाठ्यक्रम के संबंध में अधिक सूझ व समझ विकसित करना।
 3. परीक्षा संबंधी तनाव को दूर करता है।
 4. छात्रों की प्रगति को नियमित रूप से आंकने में सहायक।
 5. छात्र की कमजोरियों का निदान करने में सहायक।
- **CBSE Board द्वारा प्रस्तुत CCE मूल्यांकन की रूपरेखा :-**
 - CBSE Board ने अक्टूबर 2009 में कक्षा-9 तथा 2010-11 से कक्षा-10 में इसे लागू किया।

समग्र एवं सतत मूल्यांकन (CCE)

I. अकादमिक निष्पत्ति (शैक्षक क्षेत्र)

II. सह-शैक्षणिक क्षेत्र

I. अकादमिक निष्पत्ति:-

- प्रत्येक शिक्षा का सत्र दो अवधियों में होगा।
- **FIRST TERM** (जुलाई-अक्टूबर)
 1. Formative Assessment- I (10%)
 2. Formative Assessment -II (10%)
 3. Summative Assessment -I (20%)

40%

SECOND TERM(अक्टूबर- मार्च)

1. Formative Assessment- III (10%)
2. Formative Assessment -IV (10%)
3. Summative Assessment -II (40%)

60%

II. सह-शैक्षणिक क्षेत्र:-

- जीवन कौशल, चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, संवेगात्मक कौशल।
- गतिविधियाँ - सृजनात्मक, साहित्यिक, प्रदर्शनी, हैल्थ क्लब, आपदा प्रबंधन इत्यादि।
- शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा।
- **CCE में विद्यार्थियों का मूल्यांकन ग्रेड देकर किया जाता है।**

GRADE	MARK-RANGE	POINT	
A	A1	91-100	10
	A2	81-90	9
B	B1	71-80	8
	B2	61-70	7
C	C1	51-60	6
	C2	41-50	5
D	D	33-40	4
E	E1	21-32	3
	E2	20 से कम	1,2,3

शिक्षा का अधिकार -2009

Right to Education Act 2009

(संवैधानिक प्रकृति)

RTE ACT { राज्य सभा में-20 जुलाई 2009
लोक सभा - 4 अगस्त 2009
सम्पूर्ण देश में लागू -1 अप्रैल 2010

- **RTE Act का उद्देश्य - 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा।**
- **शिक्षा का मूल अधिकार - अनुच्छेद 21ए/भाग III (86वें संशोधन द्वारा, 2002)**
- इस एक्ट में **केन्द्र व राज्य सरकार** के खर्चों का अनुपात - **65 :35 (पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 90:10)**
- प्रारम्भिक शिक्षा - 1 से 8 कक्षा तक
- निजी विद्यालयों सहित सभी स्कूलों में आर्थिक/वंचित तौर पर कमजोर विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा देना।

- कक्षा 1 से 5 का दायरा - 1 कि0मी0 में } स्कूल दायरा
- कक्षा 6 से 8 का दायरा - 3 कि0मी0 में }

- बच्चों को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना प्रतिबंधित है।
- बालक को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व न तो किसी कक्षा में फेल होगा और न ही उसे स्कूल से निकाला जाएगा। (कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल नहीं किया जायेगा।)

- बच्चे का प्रारम्भिक शिक्षा तक लर्निंग रिकार्ड रखना अनिवार्य है।

- छात्र व शिक्षक अनुपात की दर :-

प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्रा० स्तर पर
30:1	35:1

- कोई विद्यालय कैपिटेशन फीस/प्रतिव्यक्ति फीस नहीं लेगा।
- शिक्षा का माध्यम - मातृभाषा
- शिक्षा बालकेन्द्रित होगी।
- जन्म-प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश नहीं रोका जायेगा।
- स्थानांतरण प्रमाण-पत्र के लिए कोई विद्यालय विलम्ब नहीं करेगा।
- विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाओं का होना अनिवार्य है।
- शिक्षक के सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटों -45
- न्यूनतम कार्य दिवस/दिन -

प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्रा० स्तर पर
200	220

- शैक्षिक घंटों :-

प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्रा० स्तर पर
800	1000

- RTE एक्ट 2009(राज्य सरकार नियम बना सकती है-38 धारा के तहत) का राजस्थान में नाम - राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम -2011

शिक्षण अधिगम प्रक्रियायें

Process of Teaching Learning


शिक्षा का अर्थ :-

जान लॉक -बालक का मन एक कोरी प्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है।


Education - E+DUCO (In to Out)

- शिक्षा एक प्रक्रिया है :-

 1. शिक्षा एक द्वि-मुखी प्रक्रिया है। (अध्यापक-विद्यार्थी)
 2. शिक्षा त्रि-मुखी प्रक्रिया है।



ब्लूम के अनुसार (1956) शिक्षा के उद्देश्य :-



1.संज्ञानात्मक पक्ष :-बौद्धिक पक्ष, इस क्षेत्र को 5 भागों बांटा गया है -

1.ज्ञान -सबसे छोटी इकाई है। इसमें सूचनाओं तथ्यों तथा आंकड़ों का प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान, परिभाषीकरण, स्मरण करना शामिल है।

2. अवबोध -इसमें अनुवाद करना, उदाहरण देना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, परिभाषा देना इत्यादि शामिल है।

जैसे - छात्र नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों की तुलना करना।

3. ज्ञानोपयोग :-सीखी गई बात का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। इसमें छात्र में प्रयोग करना, प्रदर्शन करना, जांच करना इत्यादि शामिल है।

4. विश्लेषण :- विषय-वस्तु को विभिन्न अंगों में विभक्त करके, उसकी संरचना को समझना।

5. अभिरूचि :- विषय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना।

6. मूल्यांकन :- आंतरिक प्रमाण के रूप में आंकलन।
बाह्य प्रमाण के रूप में आंकलन।

2.भावात्मक पक्ष :-

1.स्वीकार करना/ग्रहण करना :- सीखने वाले उद्दीपक के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है।

2. अनुक्रिया :-अभिप्रेरण+अवधान (अभिरूचि के समान)

3. मूल्य निर्धारण :- इसके अंतर्गत व्यवहार की उत्प्रेरणा आती है, जो व्यक्ति की किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित है। इसे "अभिवृत्ति" भी कहा जाता है।

4. संगठन/व्यवस्था :-व्यक्ति का व्यवहार सामान्यतया किसी एकाकी अभिवृत्ति से उत्प्रेरित होकर अभिवृत्ति समूह से होता है। ऐसे समूह के संगठित रूप को व्याख्या कहते हैं।

5.मूल्य का लक्षण वर्णन :-मूल्यों को निरंतर आत्मसात् करने से कार्य प्रभावित होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया से एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाता है, जो "जीवन दर्शन" कहलाते हैं।"

3. मनोक्रियात्मक पक्ष :-

1. अनुकरण

2. परिचालन :- शुद्धता लाने के लिए निर्देशों की पालना।

3. शुद्धता - धीरे-धीरे नियंत्रण द्वारा कार्य को शुद्ध करना।

4. संयोजन/संघिबद्ध करना -क्रमबद्ध रूप से कार्य को करते हुए कार्य में सामंजस्य बैठाता है।

5.स्वाभाविकरण :- धीरे-धीरे वह कार्य व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है।

शिक्षण के सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र :-

1. प्रमुख शिक्षण सिद्धांत -

1. जीवन से संबधित स्थापित करने का सिद्धांत।

2. रूचि का सिद्धांत।

3. प्रेरणा का सिद्धांत।

4. क्रियाशीलता का सिद्धांत -करके सीखने का अवसर देना।

5. चयन का सिद्धांत - छात्रों की योग्यता, रूचि एवं आवश्यकता के अनुसार उसमें केवल उपयोगी एवं लाभप्रद बातों का ही चयन करना चाहिए।

6. नियोजन का सिद्धांत - ज्ञान की प्रमुख बातों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व उनको नियोजित करना जरूरी है। क्योंकि नियोजन अपव्यय को रोकता है।

7. विभाजन का सिद्धांत – विषय वस्तु को सरल बनाने के लिए उसका प्रस्तुतीकरण क्रमिक पदों में करना चाहिए।
8. लोकतंत्र व्यवहार का सिद्धांत – कक्षा में छात्र केन्द्रित वातावरण बनाना।
9. आवृत्ति का सिद्धांत – दोहराना।

2. प्रमुख शिक्षण सूत्र–

1. *ज्ञात से अज्ञात की ओर* – बालक अपने पूर्वज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को ग्रहण करता है।
2. *सरल से जटिल की ओर* – छात्रों को पहले विषय की सरल बातें बताई जायें, उसके बाद ही जटिल बातों का ज्ञान कराया जाना चाहिए।
3. *विशिष्ट से सामान्य की ओर* :- आगमन से निगमन की ओर- जैसे- उदाहरण से नियम की ओर।
4. *पूर्ण से अंश की ओर* :- पहले पूर्ण वस्तु पर ध्यान देना, बाद में उसके महत्वपूर्ण अंशकी ओर ध्यान देना।
5. *प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर* :- प्रत्यक्ष वस्तुओं के बताकर, बाद में अप्रत्यक्ष साधन बताना।
6. *स्थूल से सूक्ष्म की ओर* :- मूर्त से अमूर्त की ओर।
7. *विश्लेषण से संश्लेषण की ओर* :- विश्लेषण – विभाजन करना और संश्लेषण – अवयवों को जोड़ना।
8. *अनिश्चित से निश्चित की ओर* :- प्रारम्भिक अवस्था में बालक का ज्ञान अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। इस आधार पर शिक्षक उनके ज्ञान को धीरे-धीरे पलवित करता है।
9. *अनुभव से तर्क की ओर* :- जैसे – “हरी घास पर क्षण भर” पाठ पढ़ाने के दौरान, छात्र को हरी घास का अनुभव होना चाहिए उसके बाद ही वह हरी घास के गुणों को जानने का प्रयास कर सकेगा।
10. *मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता की ओर* :- बालक की शिक्षा उनकी रुचियों के अनुसार शुरू करनी चाहिए। क्योंकि जैसे-जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, वैसे-वैसे तर्क भी बढ़ता है।

• NCF 2005 की आवश्यकता :-

1. नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करना।
2. शिक्षण को प्रभावी बनाना।
3. छात्रों की जरूरत एवं रुचि का ध्यान रखना।
4. अध्यापकों की संतुष्टि के लिए।
5. शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु।
6. शिक्षण विधियों में सुधार।
7. पाठ्यक्रम में नवीन एवं शोधकार्यों के निष्कर्ष शामिल करना।
8. अभिभावकों की संतुष्टि हेतु।

• NCF 2005 के पांच सिद्धांत:-

1. बालकों की परीक्षा प्रणालियों को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षा गतिविधियों से जोड़ना।
2. बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय के बाहरी से जोड़ना।
3. बालकों को रटत विधि से मुक्त करना।
4. बालकों के बहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम हों।
5. बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय समस्याएँ शामिल हों।

• NCF 2005 की शिक्षण अधिगम की नवीन विधियां:-

1. मिश्रित विधि
2. परीक्षण करके सीखने की विधि।
3. करके सीखने की विधि।
4. सामूहिक विधि।
5. निरीक्षण करके सीखना।

शिक्षण व्यूह रचना (स्ट्रेटेजी)

स्ट्रेसर – शिक्षण नीतियों/ व्यूह रचनाएँ वे योजनाएँ होती हैं, जिनमें शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों के व्यवहार परिवर्तन, पाठ्यवस्तु, कार्य विश्लेषण, अधिगम अनुभव आदि को विशेष महत्व दिया जाता है।

शिक्षण व्यूह रचनाओं के प्रकार –

1. शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक।
2. शिक्षण कुशलता में वृद्धि।
3. शिक्षण प्रक्रिया को क्रमबद्ध, सार्थक, उन्नत तथा वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।
4. शिक्षण नीतियां शिक्षक के नियंत्रण में रहती हैं और उसमें वह आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लेता है।

शिक्षण व्यूह रचना के प्रकार

दो प्रकार हैं –

1. एकतंत्रीय/प्रभुत्ववादी शिक्षण व्यूह रचना – परम्परागत, पाठ्यवस्तु तथा शिक्षक केन्द्रित होती है।

जैसे – 1. भाषण/व्याख्यान विधि।

2. प्रदर्शन विधि।

3. अभिक्रमित अनुदेशन

1. रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन – स्कीनर

2. शाखिय अभिक्रमित अनुदेशन – नार्मन क्राउड

3. मैथोमैटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन – गिलबर्ड

4. कहानी विधि।

2. जनतांत्रिक/लोकतांत्रिक शिक्षण व्यूह रचना –

1. प्रश्नोत्तर आव्यूह/ प्रवर्तक – सुकरात

2. खोज विधि – जे एस ब्रुनर।

3. अन्वेषण / स्वयं ज्ञान विधि/ ह्युरिस्टिक विधि – एचएफ आर्मस्ट्रांग।

4. प्रोजेक्ट विधि/परियोजना विधि – जॉन डीवी व किलपैट्रिक

5. भूमिका निर्वाह/पात्र परिचय

6. मस्तिष्क विपलन – ब्रेन स्ट्रॉमिंग – ऐलेक्स आसर्वन।

7. स्वतंत्र अध्ययन

8. अभ्यास कार्य – ड्रिलवर्क

9. पुनरावृत्ति

10. समीक्षा

11. गृह कार्य

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005

National Curriculum Frame Work 2005

- पाठ्यक्रम :- English - Curriculum (करीकुलम)
(दौड का मैदान-शिक्षा के क्षेत्र में बालक के लिए)
- NCF 2005 के प्रारम्भिक अध्याय में देश की आजादी के बाद किये गये पाठ्यचर्या में जितने भी सुधार हुए हैं उनके प्रयासों की चर्चा की गई है।
- संशोधित NCF 2005 प्रारम्भ रवीन्द्रनाथ टैगोर के निबंध “सम्यता और प्रगति” के उद्धरण से होता है।
- NCF 2005 की रूपरेखा हेतु प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली एक *राष्ट्रीय संचालन समिति* ने 21 *राष्ट्रीय फोकस समूहों* का गठन किया गया है। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) के अकादमिक सदस्य, गैर-सरकारी संगठन के प्रतिनिधि, विद्यालयों के अध्यापक आदि शामिल किये गये।
- NCF 2005 का मुख्य सूत्र – “शिक्षा बिना बोझ” (Learning Without Burden) – 1993 में आया हुआ विचार था।